

विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2025 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा,
मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-8 का उत्तर

प्रश्न

उत्तर

8(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के सेवायोजन कार्यालय में शिक्षक एवं मार्गदर्शन केन्द्र के अनुदेशक संवर्ग की पदोन्नति सन् 2005 से आज तक रोकी गयी है?

उत्तर प्रदेश सहायक सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली-1994 के भाग-तीन-भर्ती के बिन्दु 5-2(9) (10) (11) में शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों के अनुदेशक संवर्ग की पदोन्नति सहायक सेवायोजन अधिकारी के पद पर किये जाने की व्यवस्था थी।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली,2019 प्रचलन में है, जिसमें शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों के अनुदेशक संवर्ग की पदोन्नति की व्यवस्था नहीं है।

(ख) लिपिकीय संवर्ग की पदोन्नति हेतु सेवायोजन निदेशालय द्वारा प्रस्ताव बनाकर शासन स्तर से पदोन्नति बहाल करा दी गयी, तो अनुदेशक संवर्ग का प्रस्ताव क्यों नहीं बनाया गया?

वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली,2019 प्रचलन में है, जिसमें शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों के अनुदेशक संवर्ग की पदोन्नति की व्यवस्था नहीं है।

(ग) यदि कोई प्रस्ताव अनुदेशक संवर्ग की पदोन्नति से सम्बन्धित बनाया गया है या प्रक्रिया में है तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

संशोधन के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त उक्त सेवा नियमावली में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं पायी गयी है।

(घ) सेवायोजन विभाग में अनुदेशक संवर्ग को छोड़कर कोई अन्य पद/संवर्ग उपलब्ध है जिस पद पर पदोन्नति की व्यवस्था न होने के कारण अपने मूल पद से ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं?

पुस्तकालयाध्यक्ष का पद है, जिसमें पदोन्नति का कोई प्राविधान नहीं है।

(ङ) यदि नहीं, तो अनुदेशक संवर्ग की पदोन्नति क्यों रोकी गयी है?

वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली,2019 प्रचलन में है, जिसमें शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों के अनुदेशक संवर्ग की पदोन्नति की व्यवस्था नहीं है।

अनिल राजभर
मंत्री
श्रम एवं सेवायोजन